



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O) 07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E-Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा.चि./न0क्र0-130/2021 161
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 22/01/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर।

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Sarguja Division "Bharatnet project which is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic Fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber of 32,466 KM will involve 26 districts across the State" Area-8.903 ha.-regarding
पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/42621/2019

- संदर्भ :-**
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-823/2229 दिनांक 08.12.2020
 2. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल का पत्र क्र./तक.अधि./140 दिनांक 23.01.2021
 3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/एल.एम-115-823/162 दिनांक 27.01.2021

—00—

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र-1 द्वारा 03 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी तहत वांछित बिन्दु क्र0 2 एवं 3 का पालन प्रतिवेदन, जो वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल के संदर्भित पत्र-2 एवं 3 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत है, के अनुसार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र0	चाही गई जानकारी	विवरण
1	राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वनभूमि में लिए कार्यालयीन पत्र क्र0/1308/अ.भू.अ. दिनांक 14.01.2021 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
2	प्रस्ताव में वन विकास निगम से संबंधित कुछ वनक्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वनक्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।	वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र-1180 दिनांक 02.12.2020) जिसमें मण्डल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्र0 पी 183, पी 184 एवं पी 185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वनमण्डल के अंतर्गत ही माना जावे।

वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल के संदर्भित पत्र-3 द्वारा लेख किया गया है कि प्रकरण में उल्लेखित कक्ष क्र० पी 183, पी 184 तथा पी 185 कार्य आयोजना दक्षिण सरगुजा वनमण्डल अवधि 1997-98 से 2006-07 के अनुसार पुराना कक्ष क्रमांक है। प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार प्रकरण में सम्मिलित पुराना एवं नया कक्ष क्रमांक का विवरण तथा परिक्षेत्र एवं बीट की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	परिक्षेत्र	बीट	पुराना कक्ष क्रमांक	नया कक्ष क्रमांक	प्रकरण में सम्मिलित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे.में)
1	उदयपुर	सायर	पी 183	पी 2038	0.961
2	—''—	—''—	पी 184	पी 2039	0.686
3	—''—	—''—	पी 185	पी 2040	0.309
योग :-					1.956

आवेदक संस्थान के द्वारा प्रकरण में पुराना कक्ष क्रमांक एवं वन विकास निगम उल्लेखित किये जाने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत मार्ग के समानांतर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.936 हे., कुल वनभूमि 8.903 हे. पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में उपरोक्तानुसार 1.956 हे. वनभूमि भी सम्मिलित है, जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल के संदर्भित पत्र-2 एवं 3 मय सहपत्र की प्रति अनुशंसा सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र-2 मय सहपत्र।


मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ०क्र०/मा.चि./न०क्र०- 130/2021 162
प्रतिलिपि :-

अम्बिकापुर, दिनांक 29/01/2021

1. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्य पालन अधिकारी, छ०ग० इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर एस.डी. सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक

सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 140
प्रति

अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2021

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of forest land for non -forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Surguja Division. Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32466KM. will involve 26 districts across the state, area-8.903 ha. regarding.
Proposal no.-FP/CG/OFC/42621/2019

- संदर्भ :-**
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग.रायपुर का पृ०क्रमांक/2230 दिनांक 08.12.2020
 2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./5257 दिनांक 10.12.2020
 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर का पत्र क्रमांक/115 दिनांक 18.01.2021

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट परियोजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत मार्ग के सामान्तर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे. कुल वनभूमि 8.903 हे. पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 की जानकारी प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया गया था।

संदर्भित पत्र 03 के माध्यम से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 की जानकारी प्रस्तुत की गई है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	चाही गई जानकारी	विवरण
1	राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वनभूमि में लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1308/अ.भू.अ. दिनांक 14.01.2021 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
2	प्रस्ताव में वन विकास निगम से संबंधित कुछ वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।	वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1180 दिनांक 02.12.2020) जिसमें मंडल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्र. पी 183, पी 184 एवं पी 185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वनमण्डल के अंतर्गत ही माना जावे।

अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 23/11/2021

पृ.क्र./तक.अधि./ 141

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

E:/DM/FCA Proposal/Bharat Net Yojana/memo



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 115/समुकाअ/चिप्स/2020

रायपुर, दिनांक 18/01/2021

D.M.
D.K.G.
Surguja Division
Ambikapur
18/1

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

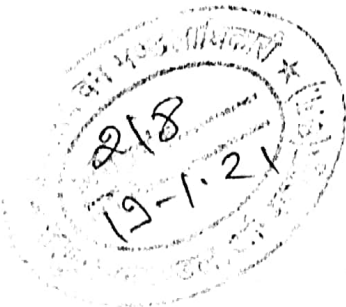
सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़).

विषय : Diversion of forest Land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project Phase II Surguja Forest Division, which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS and 85 Blocks through optical fiber cable laying approximately 32466 km, The laying of OFC will involve 26 district across the state, area - 8.903 ha regarding.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/42621/2019

- संदर्भ : 1. आप का पत्र क्रमांक/तक.अधि./1839 दिनांक 21.12.2020।
2. आवेदक संस्थान चिप्स का पत्र क्रमांक 2023/समुकाअ/चिप्स/2020 दिनांक 25.11.2020।

महोदय,

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारतनेट परियोजना फेस - 2 अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु कुल रकबा 8.903 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव में कार्यालय वन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिन्दुओं में अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी जिसकी पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की गई है। किन्तु नोडल कार्यालय द्वारा इसमें से बिंदु क्र. 2 एवं 3 को अमान्य करते हुए लेख किया गया कि बिंदु क्र. 2 एवं 3 के पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा। इस परिपेक्ष में बिंदु क्र. 2 एवं 3 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस प्रकार है :-



बिंदु क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
2	अनुसार राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर, जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वन भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1308 / अ.भू.अ. / 2021 दिनांक 14.01.2021)
3	प्रस्ताव में वन विकास निगम से सम्बंधित कुछ वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।	वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1180 दिनांक 02.12.2020) जिसमें मंडल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है की प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्र. पी 183, पी 184, एवं पी 185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वनमंडल के अंतर्गत ही माना जावे।

बिंदु क्र. 2 एवं 3 में चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(Signature)

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 115 / समुकाअ / चिप्स / 2020
A

रायपुर, दिनांक 18 / 01 / 2021

प्रतिदिने :-

- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़





छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालय मंडल प्रबंधक, सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष एवं फैक्स : 07774 - 241187. EmailID :- Dmsarguja@rediffmail.com

क्रमांक/विविधि/स.प.म./स्टोर/2020/ 1187 प्रति.

अम्बिकापुर, दिनांक : 02/12/2020

प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
रायपुर (छ.ग.)

D.F.O.
Surguja Division
Ambikapur

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project Phase-II Surguja Division Bharatnet Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 PGs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State. Area 8.903 Ha. Reg. No. FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/भानेप्रो-11/वनभूमि/प्रस्ताव/2019-20 रायपुर दिनांक 02.12.2020

—00—

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में भारतनेट परियोजना फेस-2 के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन कक्ष क्र. पी 183 (0.961 हे.), पी 184 (0.686 हे.) तथा पी 185 (0.309 हे.) कुल एकबा 1.952 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लेख किया गया है।

तत्संबंध में सूचित किया जाता है कि कक्ष क्र. पी 183 (0.961 हे.), पी 184 (0.686 हे.) तथा पी 185 (0.309 हे.) वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं है।

सधन्यवाद,

मण्डल प्रबंधक
सरगुजा परियोजना मण्डल
अम्बिकापुर (छग.)

कलेक्टर सरगुजा, (भू-अभिलेख शाखा) अम्बिकापुर (छ० ग०)

क्रमांक /1308./अ०भू०अ०/2021

अम्बिकापुर, दिनांक 14/01./2021

(अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :-

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" के सफल क्रियान्वयन हेतु सरगुजा जिला क्षेत्र के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुङ्गा एवं मैनपाट ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यववर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 0-936 हे. राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

सन्दर्भ:-

प्राधिकृत अधिकारी डाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का पत्र क्रमशः भानेप्रो-11/वनभूमि/एफआर ए-अनापत्ति/ 2019-20/14, रायपुर दिनांक 5-10-2019 तथा पत्र क्रमांक भानेप्रो-11/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/ 2019-20/14-B रायपुर दिनांक 15-12-2020

—000—

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -2" के तहत सरगुजा जिला क्षेत्र के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुङ्गा एवं मैनपाट विकासखण्ड अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है: -

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल)

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक.	रकबा (हे.मे.)	मद	रिमांक
1	बतौली	चंवरपानी	420	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
2	बतौली	सरस्वतीपुर	307	0.003	बड़े झाड़ का जंगल	
3	बतौली	सरस्वतीपुर	566/3	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
4	लखनपुर	तीरकेला	221/1	0.062	बड़े झाड़ का जंगल	

कलेक्टर
सरगुजा (छ.ग.)

क्र.	पट्टरील का नाम	ग्राम का नाम	खराब कगांक.	रकमा (हे.गे.)	मद	रिमाक
5	लखनपुर	अमदला	474/1	0.061	छोटे झाड़ का जंगल	
6	लखनपुर	अमदला	494	0.036	छोटे झाड़ का जंगल	
7	लखनपुर	कुरू	1401/1	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
8	लखनपुर	कुरू	1/1	0.013	बड़े झाड़ का जंगल	
9	लखनपुर	कुरू	3/1	0.010	बड़े झाड़ का जंगल	
10	लखनपुर	गोरयापीपर	214/8	0.015	बड़े झाड़ का जंगल	
11	लखनपुर	अमदला	54/5	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
12	लखनपुर	अमदला	86/1	0.029	छोटे झाड़ का जंगल	
13	लखनपुर	कुन्नी	306/1	0.072	बड़े झाड़ का जंगल	
14	लखनपुर	कुन्नी	344/1	0.054	छोटे झाड़ का जंगल	
15	लखनपुर	माजा	303/1	0.020	छोटे झाड़ का जंगल	
16	लखनपुर	माजा	278/9	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
17	लखनपुर	कन्टिदा	133/1	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
18	लखनपुर	कन्टिदा	135/1	0.068	छोटे झाड़ का जंगल	
19	लखनपुर	तीरकेला	3/3	0.027	छोटे झाड़ का जंगल	
20	लखनपुर	तीरकेला	184/1	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
21	लखनपुर	जूनाडीह	38/2	0.039	छोटे झाड़ का जंगल	
22	लखनपुर	तीरकेला	197/32	0.022	छोटे झाड़ का जंगल	
23	लखनपुर	करई	123/10	0.015	छोटे झाड़ का जंगल	
24	लखनपुर	कुन्नी	1125/1	0.024	छोटे झाड़ का जंगल	
25	लखनपुर	कुन्नी	1046/18	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	
26	लखनपुर	करई	15/1	0.009	छोटे झाड़ का जंगल	
27	लखनपुर	करई	149/5	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	
28	लखनपुर	बंधा	23/1	0.005	छोटे झाड़ का जंगल	
29	लखनपुर	बंधा	148	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
30	लखनपुर	कन्टिदा	657/1	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
31	लखनपुर	कन्टिदा	26/14	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	

कलेक्टर
सतना (छ.प्र.)

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक.	रकबा (हे.गे.)	मद	रिमांक
32	लखनपुर	कन्टिदा	136/8	0.014	छोटे झाड़ का जंगल	
33	लखनपुर	कन्टिदा	183/1	0.036	छोटे झाड़ का जंगल	
34	लखनपुर	अमदला	790/1	0.028	छोटे झाड़ का जंगल	
35	लखनपुर	गुमगराकला	392/1	0.031	छोटे झाड़ का जंगल	
36	लखनपुर	गुमगराकला	843/3	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
37	लुण्डा	सायरसाई	422/1	0.004	बड़े झाड़ का जंगल	
38	लुण्डा	पुरकेला	214/1	0.008	छोटे झाड़ का जंगल	
39	लुण्डा	लालमाटी	351/77	0.031	बड़े झाड़ का जंगल	
40	लुण्डा	लालमाटी	321/2	0.008	बड़े झाड़ का जंगल	
41	लुण्डा	लालमाटी	289/1	0.022	बड़े झाड़ का जंगल	
42	लुण्डा	दिवरी	507/1	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
43	लुण्डा	उदारी	642/1	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	
44	मैनपाट	सरभंजा	1242	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
45	मैनपाट	सरभंजा	1243	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
46	मैनपाट	सरभंजा	1306	0.009	बड़े झाड़ का जंगल	
47	मैनपाट	सरभंजा	1090	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
48	मैनपाट	उडुमकेला	408/1	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
49	मैनपाट	असगावां	8/1	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
योग				0.936		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
कलकत्ता
सिस्म (असिकापुरा.)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./162
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक/ २७ / ०१ / २०२१

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of forest land for non -forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Surguja Division. Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32466KM. will involve 26 districts across the state, area-8.903 ha. regarding.

Proposal no.-FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./140 दिनांक 23.01.2021

—00—

विषयान्तर्गत भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट परियोजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत मार्ग के सामान्तर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे. कुल वनभूमि 8.903 हे. पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ-5-27/2020/10-2 दिनांक 03.11.2020 के बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में मण्डल प्रबंधक, सरगुजा परियोजना मण्डल अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक 1180 दिनांक 02.12.2020 द्वारा लेख किया गया है कि भारत नेट परियोजना फेस-2 के तहत ऑप्टिकल केबल बिछाने हेतु कक्ष क्रमांक पी 183, पी 184 तथा पी 185 वन विकास निगम के अन्तर्गत नहीं है। प्रकरण में उल्लेखित उक्त कक्ष क्रमांक कार्य आयोजना दक्षिण सरगुजा वनमण्डल अवधि 1997-98 से 2006-07 के अनुसार पुराना कक्ष क्रमांक है।

प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार प्रकरण में सम्मिलित पुराना एवं नया कक्ष क्रमांक का विवरण तथा परिक्षेत्र एवं बीट की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	परिक्षेत्र	बीट	पुराना कक्ष क्रमांक	नया कक्ष क्रमांक	प्रकरण में सम्मिलित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे.में)
1	उदयपुर	सायर	पी 183	पी 2038	0.961
2	उदयपुर	सायर	पी 184	पी 2039	0.686
3	उदयपुर	सायर	पी 185	पी 2040	0.309
योग :-					1.956

आवेदक संस्थान के द्वारा प्रकरण में पुराना कक्ष क्रमांक एवं वन विकास निगम उल्लेखित किये जाने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत मार्ग के सामान्तर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे. कुल वनभूमि 8.903 हे. पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में उपरोक्तानुसार 1.956 हे. वनभूमि भी सम्मिलित है, जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

जानकारी अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर